आय-कर नियम, 1962

प्ररूप सं. 64

[नियम 12ग देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115प के अधीन जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा संदत्त या जमा पूंजी आय के संबंध में दिया जाने वाला विवरण

1. जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि* का नाम ....

2. रजिस्टर्ड कार्यालय का पता ....

3. [1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]
....

4. समाप्त होने वाला पूर्व वर्ष ....

5. जोखिम पूंजी कंपनी के निदेशकों या जोखिम पूंजी निधि* के न्यासियों के नाम और पते
....
....

6. जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि के भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण की तारीख-

   (*i*) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 के अधीन ....

   (*ii*) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकल्प विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन ....

7. उस दशा में जहां जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकल्प विनिधान निखि) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है,

   (क) क्या जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि ने जोखिम पूंजी उपक्रम के असूचीबद्ध साधारण शेयर या साधारण संबद्ध विनिधानों में अपने विनिधानीय निधियों का दो तिहाई से अन्यून विनिधान किया है हां ..../नहीं ....

   (ख) क्या जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि ने किसी एसे जोखिम पूंजी उपक्रम में कोई विनिधान किया है जिसमें,-

      (*i*) इसका निदेशक या कोई सारभूत शेयरधारक (इसकी साधारण अंश पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक साधारण शेयरों का हिताधिकारी स्वामी होते हुए); या

      (*ii*) यथास्थिति, उसका न्यासी या व्यवस्थापक-

      या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम के संदत्त साधारण अंश पूंजी के पंद्रह प्रतिशत से अधिक साधारण शेयर रखता है हां ..../नहीं ....

---

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ग) क्या यथास्थिति, जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि के शेयर या इकाईयां पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं हां ……./नहीं …….

8. जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधानों से, सभी शीर्षों के अधीन, कुल आय (9+11+13+15) ………………………………………….

9. जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधानों से, "दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन, कुल आय ………………………………………….

10. (9 से 8) का अनुपात ………………………………………….

11. जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधानों से, "अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन, कुल आय ………………………………………….

12. (11 से 8) का अनुपात ………………………………………….

13. जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधानों से कुल लाभांश आय ………………………………………….

14. (13 से 8) का अनुपात ………………………………………….

15. जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधानों से अन्य आय (जैसे ब्याज आदि) ………………………………………….

16. (15 से 8) का अनुपात ………………………………………….

17. निम्नलिखित रूपविधान में, धारा 115प की उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे जिनके द्वारा आय प्राप्त की गई है या जिनके नाम से जमा की गई है:-

क्रम सं.	*नाम*	*पता (पते)*	[1]*[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]*	*कुल संदत्त/जमा रकम*	*दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के अधीन संदत्त/जमा रकम [स्तंभ 5x क्रम सं. 10]*	*अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के अधीन संदत्त/जमा रकम [स्तंभ 5x क्रम सं. 12]*	*लाभांश के रूप में संदत्त/जमा रकम [स्तंभ 5x क्रम सं. 14]*	*संदत्त/जमा अन्य रकम जैसे ब्याज आदि [स्तंभ 5x क्रम सं. 16]*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।

यदि जोखिम पूंजी निधि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो जोखिम पूंजी निधि विलेख की प्रति संलग्न करें।

संपरीक्षित लेखाओं को, जिसके अंतर्गत तुलन पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, यदि कोई हों, भी है, आय की तथा आय के वितरण या आय के जमा के मद्दे [धारा 115प(5) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित] विनियोजन की प्रमाणित प्रतियों के साथ संलग्न करें।

मैं,.. (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में) जो .... का पुत्र/पुत्री/पत्नी हूँ, एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि जो कुछ ऊपर और उपाबंध (उपाबंधों) में जिसके अंतर्गत उपाबंधों से संलग्न दस्तावेज भी हैं, कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारीऔर विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं। मैं यह और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं यह विवरण .... (पदनाम) की हैसियत में दे रहा/रही हूँ और मैं यह विवरण देने तथा सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

आज तारीख .... को सत्यापित किया गया ।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

सत्यापन

मैंने/हमने .... (जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का नाम) द्वारा .... को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष में उपार्जित आय और विनिधानकर्ताओं को वितरित/जमा आय [धारा 115प(5) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित] की विशिष्टियां दर्शाने वाली लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच की है।

2. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं।

स्थान ....

तारीख .... (लेखापाल के हस्ताक्षर और नाम)

टिप्पणः

1. "लेखापाल" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल अभिप्रेत है।

2. *जो लागू न हो उसे काट दें।